

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

कंमाक-सी-6/एम.आर./2020/ 645
प्रति,

भोपाल, दिनांक 11/09/2020


1. शासन के समस्त विभाग, मध्यप्रदेश
2. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
4. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

विषय:- शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच/उपचार हेतु आपदा कोविड-19 महामारी संक्रमण के सम्बन्ध में।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र. शासन के शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य जो आपदा कोविड-19 से संक्रमित होते हैं। मरीज इलाज हेतु मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय (नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सालय) में आंतरिक रोगी (IPD) के रूप में जांच/उपचार एवं दवाईयों जैसे कि Tab. Favipiravir, injection Remdesivir, injection Tocilizumab आदि कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी। शासकीय सेवक कोविड-19 इलाज के चिकित्सा देयक अपने विभाग के माध्यम से जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश के प्रतिहस्ताक्षर कराने के उपरांत शासकीय सेवक के सम्बन्धित विभाग द्वारा ऐसे चिकित्सा देयकों में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था आपदा कोविड-19 के मरीजों के उपचार के चिकित्सा देयकों पर लागू होगी। जिसका बिन्दुवार पत्रक संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
द्वारा अनुमोदित


(डॉ. सजय गोयल)
आयुक्त, स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश


निरंतर -2

पृ. क्रमांक- सी-6/एम.आर./2020/646

भोपाल, दिनांक 11/09/2020

प्रतिलिपि:- सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
 2. निज सचिव, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
 3. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त म.प्र.।
 4. निज सचिव, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
 5. निज सहायक, संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण म.प्र.।
 6. निज सहायक, संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र.।
 7. समस्त अपर संचालक/संयुक्त संचालक स्थानीय कार्यालय।
 8. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
 9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
 10. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश।
- 11 प्रभारी एमआईएस, स्थानीय कार्यालय उपरोक्तानुसार विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।


आयुक्त, स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच/उपचार हेतु आपदा कोविड-19 महामारी संक्रमण हेतु जानकारी निम्नानुसार है :-


क.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या शासकीय कर्मचारी शासकीय अस्पताल में निशुल्क उपचार का हकदार है ?	हाँ (म.प्र. सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम 4 (1) में प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी शासकीय चिकित्सालय में निशुल्क उपचार का हकदार होगा। यथा- प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालय प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कालेज प्रदेश में भारत शासन द्वारा संचालित एम्स भोपाल, बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल (परिपत्र क्रमांक एफ 9-9/2013/17/मेडि.-3 भोपाल दिनांक 26/08/2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करे।
2.	राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय की सूची क्या विभाग की वेबसाईट पर अपलोड है ?	हाँ (वर्तमान में 101 निजी संस्थाओं को मान्यता प्राप्त है। सूची विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है)
3.	राज्य के अंदर शासकीय चिकित्सालय में शासकीय सेवक एवं उनके सदस्यों के उपचार हेतु रैफरल की आवश्यकता होगी ?	नहीं (राज्य में संचालित शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु रैफरल की आवश्यकता नहीं होगी) यथा- प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालय प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कालेज प्रदेश में भारत शासन द्वारा संचालित एम्स भोपाल, बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल (परिपत्र क्रमांक एफ 9-9/2013/17/मेडि.-3 भोपाल दिनांक 26/08/2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करे।
4.	राज्य के अंदर शासकीय चिकित्सालय में शासकीय सेवक एवं उनके सदस्यों के उपचार हेतु अनुमति की आवश्यकता होगी ?	नहीं (राज्य में संचालित शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी) यथा- 1. प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालय 2. प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कालेज 3. प्रदेश में भारत शासन द्वारा संचालित एम्स भोपाल, बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल (परिपत्र क्रमांक एफ 9-9/2013/17/मेडि.-3 भोपाल दिनांक 26/08/2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करे।

5.	निजी चिकित्सालयों में रेफरल की प्रक्रिया क्या है ?	निजी चिकित्सालयों में रेफरल की प्रक्रिया राज्य के अंदर शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने के लिये रेफरल हेतु जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा रेफरल किया जायेगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा केवल उन्हीं जांच/उपचार की सुविधायें हेतु रेफरल किया जायेगा जो जिला चिकित्सालय/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं होगी।
6.	फालोअप उपचार अनुमति किसके द्वारा प्रदान की जाती एवं कितने समय के लिये प्रदान की जाती है ?	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को फालोअप उपचार अनुमति सिविल सर्जन सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा 6 माह के लिये प्रदान की जाती है।
7.	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा अग्रिम की वर्तमान व्यवस्था क्या है ?	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु शासकीय चिकित्सालयों में उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को अधिकार दिये गये हैं। (परिपत्र क्रमांक एफ 9-9/2013/17/मेडि.-3 भोपाल दिनांक 26/08/2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करें।
8.	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम/अनुमति/फालोअप अनुमति वर्तमान व्यवस्था क्या है ?	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को अधिकार दिये गये हैं। मेडिकल बोर्ड द्वारा केवल उन्हीं जांच/उपचार की सुविधायें हेतु निजी चिकित्सालय में रेफरल किया जायेगा जो शासकीय जिला चिकित्सालय/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जांच/उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। (परिपत्र क्रमांक एफ 9-9/2013/17/मेडि.-3 भोपाल दिनांक 26/08/2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करें।
9.	निजी चिकित्सालयों (द्वारा शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों) की मान्यता की प्रक्रिया ?	निजी चिकित्सालयों को शासकीय मान्यता हेतु आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करना होता है। आवेदन फार्म http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। उन्हीं निजी चिकित्सालयों को मान्यता दी जायेगी जिन्हें National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH) द्वारा अधि

		मान्यता दी गई हो। निजी चिकित्सालयों को मान्यता हेतु NABH को एक वर्ष में प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा।
10.	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के आकस्मिक उपचार हेतु क्या व्यवस्था है ?	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को आकस्मिक स्थिति में उपचार के लिये मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं में उपचार करा सकते हैं। इस हेतु उपचार उपरांत उन्हें कार्यान्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी इस विषय में म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/2006/17/मेडि.-3 भोपाल दिनांक 20/02/2006 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों को राज्य के अंदर गठित प्राइवेट निजी चिकित्सा संस्थाओं में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संभागीय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है जो निजी संस्थाओं में उपचार उपरांत कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान करते हैं। (परिपत्र क्रमांक 9-2/2006/17/मेडि.-3 भोपाल दिनांक 20/02/2006) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है।
11.	म.प्र. चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 अनुसार मरीज के भर्ती की स्थिति में	<ol style="list-style-type: none"> 1. ऑक्सीजन देने में हुआ सम्पूर्ण व्यय। 2. वार्ड या कमरे का किराया में व्यय शामिल होगा, चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाले कर्मचारियों के मामले में सम्पूर्ण और अन्य मामलों में केवल पचास प्रतिशत। 3. रुधिराधान के लिए रक्त खरीद पर हुआ व्यय। 4. शल्य क्रिया तथा रोग संबंधी (पैथोलॉजिक) जीवाणु सम्बन्धी, रेडियोलॉजिकल एवं अन्य परीक्षण जो कि प्राधिकृत चिकित्सकीय परिचारक द्वारा आवश्यक समझे जाए और प्रमाणित किये जाएँ, किया गया पूर्ण व्यय।
12	वर्तमान कोविड-19 संक्रमण की महामारी को ध्यान में रखते हुये कोरोना वायरस से संक्रमित समस्त शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का उपचार शासन द्वारा मान्यता प्राप्त 101 निजी चिकित्सालयों में कराया जा सकता है ?	आकस्मिकता की स्थिति में कोविड-19 आपदा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों पर कार्यान्तर स्वीकृति संभागीय कार्यान्तर स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की जायेगी।

13	क्या शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य वर्तमान कोविड-19 संक्रमण इलाज हेतु अशासकीय (गैर मान्यता प्राप्त) निजी चिकित्सालय में जा सकता है ?	हाँ। आकस्मिकता के आधार पर मरीज जा सकता है परंतु ऐसे प्रकरणों पर अपने विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा उसके पश्चात ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु देयक प्रस्तुत कर सकता है।
14	क्या शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य वर्तमान कोविड-19 संक्रमण इलाज हेतु अशासकीय (गैर मान्यता प्राप्त) निजी चिकित्सालय में जहाँ पर कोविड-19 जांच/उपचार की दरें निर्धारित नहीं हैं क्या वहाँ उपचार कराया जा सकता है ?	हाँ। आकस्मिकता के आधार पर
15	क्या म.प्र. शासन द्वारा आपदा कोविड-19 हेतु दरें निर्धारित हैं ?	हाँ। आयुष्मान भारत निरामय योजना के अन्तर्गत दरें निर्धारित हैं। निर्धारित दरों पर ही निजी चिकित्सालय अपनी सेवायें दे रहें हैं।
16	क्या म.प्र. शासन के शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य वर्तमान कोविड-19 संक्रमण इलाज हेतु मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय (नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सालय) में आंतरिक रोगी (IPD) के रूप में जांच/उपचार एवं दवाईयों जैसे कि Tab. Favipiravir, injection Remdesivir, injection Tocilizumab आदि के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी ?	हाँ। म.प्र. शासन के शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य जो आपदा कोविड-19 से संक्रमित होते हैं। मरीज इलाज हेतु मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय (नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सालय) में आंतरिक रोगी (IPD) के रूप में जांच/उपचार एवं दवाईयों जैसे कि Tab. Favipiravir, injection Remdesivir, injection Tocilizumab आदि के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी। शासकीय सेवक कोविड-19 इलाज के चिकित्सा देयक अपने विभाग के माध्यम से जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश के प्रतिहस्ताक्षर कराने के उपरांत शासकीय सेवक के सम्बन्धित विभाग द्वारा ऐसे चिकित्सा देयकों में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था आपदा कोविड-19 के मरीजों के उपचार के चिकित्सा देयकों पर लागू होगी। (आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक IDSP/2020/1504 Bhopal 04/09/2020 के परिपालन में।)

अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अनुमोदित


 (डॉ. संतोष जैन)
 अपर संचालक (एम.आर.)
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
 मध्यप्रदेश